भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *254
दिनांक 10.03.2026 को उत्तरार्थ

वित्त आयोगों द्वारा पंचायतों के लिए अनुशंसित धनराशि

*254. श्री सचिदानन्दम आर.:

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान वित्त आयोगों द्वारा पंचायतों के लिए अनुशंसित और वास्तविक रूप से जारी की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या निबद्ध और गैर- निबद्ध अनुदान जारी करने में कोई विलंब हुआ है जिससे स्थानीय विकास कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) व (ख): विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

वित्त आयोगों द्वारा पंचायतों के लिए अनुशंसित धनराशि के संबंध में दिनांक 10.03.2026 उत्तरार्थ लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 254 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) पुरस्कार अवधि 2021-26 के दौरान पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को निर्धारित पात्रता शर्तों की पूर्ति पर अनुशंसित और जारी किए गए अनुदानों का राज्यवार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(ख): पंचायती राज मंत्रालय और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग क्रमशः पंद्रहवें वित्त आयोग के अंतर्गत ग्रामीण स्थानीय निकायों को गैर-निबद्ध (मूल) अनुदान तथा निबद्ध अनुदान की रिहाई की अनुशंसा करने हेतु नोडल मंत्रालय हैं।

पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार, ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान प्रत्येक वर्ष राज्यों को दो किस्तों में जारी किए जाते हैं। किसी राज्य से अंतिम जारी किस्त के लिए अनुदान हस्तांतरण प्रमाणपत्र (जीटीसी) प्राप्त होने तथा दिशा-निर्देशों में निर्धारित पात्रता शर्तों की पूर्ति होने पर, पंचायती राज मंत्रालय वित्त मंत्रालय को अगली किस्त के गैर-निबद्ध अनुदान की जारी करने की अनुशंसा करता है। इसी प्रकार, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग निबद्ध अनुदान की संबंधित किस्त की जारी करने की अनुशंसा वित्त मंत्रालय को करता है।

तदनुसार, अनुदान जारी करने का समय अंतिम किस्त के लिए जीटीसी प्राप्त होने तथा संबंधित राज्य द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों की पूर्ति पर निर्भर कर सकता है। पंचायती राज मंत्रालय ने इन शर्तों की पूर्ति होने पर गैर -निबद्ध अनुदान समय पर जारी किए हैं; अतः इसके कारण किसी विकास कार्य पर विलंब का प्रभाव नहीं पड़ा है।

*****

अनुलग्नक

वित्त आयोगों द्वारा पंचायतों के लिए अनुशंसित धनराशि के संबंध में दिनांक 10.03.2026 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 254 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को आवंटित और जारी अनुदानों का राज्यवार विवरण (06.03.2026 तक)

(करोड़ रुपये में)

क्र. स.	राज्य	2021-22		2022-23		2023-24		2024-25		2025-26	
		आवंटन	जारी	आवंटन	जारी	आवंटन	जारी	आवंटन	जारी	आवंटन	जारी
1	आंध्र प्रदेश	1939.00	1917.85	2010.00	1976.75	2031.00	1997.45	2152.00	2109.97	2099.00	2053.81
2	अरुणाचल प्रदेश	170.00	170.00	177.00	35.40	179.00	0.00	189.00	0.00	185.00	0.00
3	असम	1186.00	1186.00	1228.00	1228.00	1241.00	1241.00	1315.00	1315.00	1283.00	534.76
4	बिहार	3709.00	3709.00	3842.00	3842.00	3884.00	3855.33	4114.00	4109.01	4012.00	2806.31
5	छत्तीसगढ़	1075.00	1075.00	1114.00	1114.00	1125.00	1125.00	1192.00	1185.25	1163.00	561.44
6	गोवा	55.00	55.00	57.00	48.46	58.00	36.13	62.00	0.00	61.00	0.00
7	गुजरात	2362.00	2362.00	2446.00	2446.00	2473.00	2473.00	2619.00	2619.00	2555.00	1272.68
8	हरियाणा	935.00	935.00	968.00	967.30	979.00	953.59	1036.00	1012.51	1011.00	687.95
9	हिमाचल प्रदेश	317.00	317.00	329.00	329.00	332.00	318.04	352.00	352.00	343.00	238.53
10	झारखंड	1249.00	1249.00	1293.00	1293.00	1307.00	1307.00	1385.00	962.94	1351.00	0.00
11	कर्नाटक	2377.00	2375.50	2463.00	2093.55	2490.00	2086.59	2637.00	2133.25	2572.00	0.00
12	केरल	1203.00	1203.00	1246.00	1246.00	1260.00	1260.00	1334.00	1334.00	1301.00	650.50
13	मध्य प्रदेश	2944.00	2944.00	3050.00	3050.00	3083.00	2819.24	3265.00	3262.75	3185.00	0.00
14	महाराष्ट्र	4307.00	4267.16	4461.00	3696.71	4510.00	3629.21	4776.00	3169.72	4659.00	2507.25
15	मणिपुर	131.00	65.50	135.00	0.00	137.00	0.00	145.00	0.00	142.00	0.00
16	मेघालय	135.00	94.50	140.00	0.00	141.00	0.00	149.00	0.00	146.00	0.00
17	मिजोरम	69.00	69.00	71.00	71.00	72.00	72.00	76.00	76.00	74.00	14.80
18	नागालैंड	92.00	92.00	96.00	48.00	97.00	0.00	102.00	0.00	99.00	0.00
19	ओडिशा	1669.00	1669.00	1728.00	1728.00	1747.00	1746.91	1851.00	1851.00	1805.00	1712.98
20	पंजाब	1026.00	1026.00	1062.00	1062.00	1074.00	1058.35	1138.00	1127.86	1110.00	222.00

21	राजस्थान	2854.00	2854.00	2957.00	2955.34	2989.00	2847.96	3166.00	3166.00	3087.00	757.60
22	सिक्किम	31.00	31.00	33.00	33.00	33.00	33.00	35.00	32.78	33.00	22.85
23	तमिलनाडु	2666.00	2666.00	2761.00	2761.00	2791.00	2791.00	2957.00	2957.00	2884.00	637.93
24	तेलंगाना	1365.00	1365.00	1415.00	1415.00	1430.00	1430.00	1514.00	640.07	1477.00	0.00
25	त्रिपुरा	141.00	141.00	147.00	147.00	148.00	148.00	157.00	156.31	153.00	153.00
26	उत्तर प्रदेश	7208.00	7208.00	7466.00	7466.00	7547.00	7547.00	7994.00	7994.00	7797.00	5441.38
27	उत्तराखंड	425.00	418.70	440.00	439.21	445.00	444.13	471.00	470.30	458.00	89.41
28	पश्चिम बंगाल	3261.00	3261.00	3378.00	3378.00	3415.00	3415.00	3617.00	3472.22	3528.00	2382.63
	कुल	**44901.00**	**44726.22**	**46513.00**	**44869.71**	**47018.00**	**44634.91**	**49800.00**	**45508.95**	**48573.00**	**22747.82**

***